प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् 31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में झारखंड सरकार के चयनित विभाग जिसमें वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद और खान एवं भूतत्व विभाग शामिल है, के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2020-21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मानकों के आधार पर की गई है।